

<p>तारीख हुक्म</p>	<p>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील संख्या 45/2021(जी.सी.एम.एस. नंबर 2021/90) बअनवान छोटमल बनाम धनाराम इत्यादि</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</p>
------------------------	---	--

<p>03.04.2025</p>	<p>पत्रावली पेश हुई। वकूलाय उपस्थित। वकील अपीलांट को अदालत हाजा द्वारा रेस्पोंडेंट संख्या 8 की कायम मुकाम की कार्यवाही करने एवं रेस्पोंडेंट संख्या 9,10,13 व 14 के सम्मन पेश करने हेतु बार-बार अवसर प्रदान किये जाने के बावजूद भी उनकी ओर से कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है।</p> <p>यह उल्लेखनीय है कि अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील में अपीलार्थी को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास निर्माण एवं रूकी हुई किस्ते प्राप्त करने की छूट प्रदान किये जाने का अनुतोष चाहा है।</p> <p>अदालत हाजा द्वारा आदेश दिनांक 10.03.2021 के जरिये अपीलांट को वांछित अनुतोष त्वरित रूप से प्रदान किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में अपीलांट द्वारा चाहा गया अनुतोष पूर्ण हो जाने से हस्तगत अपील में अपीलांट का कोई अनुतोष शेष नहीं रहा है। ऐसी स्थिति में अपीलांट को अपीलाधीन आदेश से पाबंद किया जाकर अपील को इसी स्तर पर निस्तारित किया जाना न्यायोचित है।</p> <p>लिहाजा अपीलांट द्वारा वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से अपील अपीलांट सारहीन हो जाने से खारिज की जाती है तथा अपीलांट को अपीलाधीन आदेश से पाबंद किया जाता है।</p> <p>पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नंबर से कम की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही दारिखल दफ़तर हो।</p> <p>आदेश सरे ईजलास सुनाया गया।</p> <p style="text-align: center;">(ओमप्रकाश विश्नोई) राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर</p>	
-------------------	---	--